ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद सं0–39B/14–15

विनय त्रिगुनायत –बनाम– राज्य (अंचल अधिकारी)

दिनांक	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद आवेदक विनय त्रिगुणायत वगैरह साकिन खोडाहार थाना बरही, परगना बरसोत, जिला हजारीबाग के आवेदन पर वाद लाया गया है, जिसमें मौजा खोडाहार, अन्तर्गत खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 भूमि आवेदकगण को बाबु जोगेन्द्रनाथ वो बाबु तारा प्रसन्न त्रिगुनायत वो बाबु मनोहर प्रसाद पेशरान लवीन मोहन को बजरिये केवाला रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 02.08.1926 ई0 नबिस्ते बाबु चम्पालाल सेठ बनाम जोगेन्द्रनाथ वगैरह को हासिल है, जिसका निबंधन सदर हजारीबाग के बुक संख्या 1 भौलूम संख्या 26 पेज संख्या 175 से 178, डीड संख्यरा 1706 वर्ष 1926 ई0 को निबंधित हुई है। उपरोक्त संपति में आवेदकगण के दादा वो पिता दखलकार कायम है तथा अचंल कार्यालय में पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 114 भौलूम संख्या 1 पर बकास्त दर्ज है, परन्तु वर्तमान में अचंल अधिकारी द्वारा कायम जमाबंदी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गयी है। आवेदकगण द्वारा आवेदक के नाम से कायम जमाबदी को नियमित करते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रक्रिया में दलील सुनने एवं आवेदन से संतुष्ट होते हुए वाद की प्रक्रिया शुरू की गई एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अपना कारणपृच्छा दाखिल करने के लिए कहा गया तथा उपरोक्त भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, बरही से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित कारणपृच्छा समर्पित किया है, जिसमें कहा है कि मौजा खोडाहार, अन्तर्गत खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 वाली भूमि आवेदकगण को बाबु जोगेन्द्रनाथ वो बाबु तारा प्रसन्न त्रिगुनायत वो बाबु मनोहर प्रसाद पेशरन लवीन मोहन को बजरिये केवाला रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 02.08.1926 ई0 नबिस्ते बाबु चम्पालाल सेठ जोगेन्द्रनाथ वगैरह को हासिल है। बाबु जोगेन्द्रनाथ वगैरह

आवेदकगण के दादा थे, इतने ही नहीं उपरोक्त सम्पति के साथ अन्य जमीन का एक बंटवारानामा सूट तारा प्रसाद त्रिगुनायत वगैरह बनाम बंधन भिटारिया वगै0 सब जज हजारीबाग के न्यायालय में चला था जिसमें वाद संख्या 14/1941 जिसमें आवेदक का पिता को डिग्री हासिल होने के उपरान्त उपरोक्त सम्पति पर आवेदकगण के दादा वो पिता के नाम से कायम वो काबिज हुए तथा शांति पूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहे है तथा उपरोक्त सम्पति पर आवेदकगण का हक वो दावा निर्विवाद है। यह भी कि आवेदकगण जीविकोपार्जन हेतु बाहर रहने लगे तथा सरकार को राजस्व लगातार देने में असफल रहा जिसके कारण अंचल कार्यालय बरही द्वारा एकाएक रसीद निर्गत करना बंद कर दिया गया, जिसका नजायज फायदा उठाते हुए ग्राम खोडाहार से सुगन महतो पिता अकल महतो पिता खाता संख्या 1/2 रकबा 81 डी0 का जमाबंदी अंचल कार्यालय बरही को बरगला कर अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लिया तथा वर्ष 1991–92 से वर्ष 1995–96 तक का मालगुजारी रसीद बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के निर्गत करवा लिया गया है। यह भी कि जब आवेदक संख्या 2 को इस बात का पता चला तो अंचल अधिकारी बरही के समक्ष 22.05.14 को आवेदन दिया कि विजय यादव पिता स्व0 सुगन यादव ग्राम खोडाहार के नाम से जो लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है उसे बंद करते हुए आवेदक के नाम से रसीद निर्गत किया जाय, इस संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद संख्या 03/14–15 के तहत अभिलेख खोला गया। यह भी कि उपरोक्त खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 0.83 ए0 भूमि बकास्त खाते की भूमि है तथा लगान पानेवाला सम्मिलात मालिक वगैरह सर्वे खतियान में दर्ज वर्तमान पंजी–2 के पृष्ट संख्या 114/IV में खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 भूमि का लगान जमाबंदी सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम से कायम है, जो अमीन फर्द रिपोट के अनुसार बिना प्रक्रिया में गुजरे वर्ष 1991–92 में जमाबंदी कायम कर दी गयी है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यह भी कि अंचल अधिकारी द्वारा रकबा शुन्य होने की बात कही गयी है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है तथा बकास्त खाते की भूमि का अमीन फर्द रिपोर्ट निर्गत होना स्पष्ट संदेह की दृष्टि के अंतर्गत

आता है। साथ ही आवेदकगण द्वारा उपरोक्त खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 भूमि की जमाबंदी को नियमित करते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

न्यायालय प्रक्रिया में आवेदक द्वारा आवेदन दिया गया कि वाद लंबित होने के बावजूद विजय यादव, राजदेव यादव दोनों पिता सुगन यादव द्वारा निर्माण काये के लिए ईंट–बालू गिराया गया है, जिसके आलोक में विजय यादव एवं राजदेव यादव को कारणपृच्छा किया गया तथा विजय यादव एवं राजदेव यादव के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित कारणपृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा है कि मौजा खोडाहार, अन्तर्गत खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 भूमि से संबंधित है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विविध वाद संख्या 03/14–15 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। अपीलकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 की भूमि को भू–सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान पूर्व जमींदार का बकास्त के रूप में दर्ज किया गया था तथा प्रतिवादी के पिता ने पूर्व जमींदार से खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 81 क्षेत्रफल 0.83 एकड़ जमीन का रैयती बंदोबस्ती सतीशचंद्र त्रिगुणायत से विक्रम संवत 1997 ई. में, जो वर्ष 1940 के अनुरूप है, सुगन महतो पिता अकल महतो के द्वारा रैयती खरीद के रूप में किया तथा भूमि पर अपना कब्जा कर लिया। यह भी कि बंदोबस्तधारी ने पूर्व जमींदार को लगान का भुगतान किया और सुगन महतो के जमींदारी नाम के निहित होने के बाद रजिस्टर 2 में रैयत मालिक और भूमि के कब्जेदार के रूप में दर्ज हो गया। यह भी कि पूर्व भूस्वामी ने प्रतिवादी के पिता सहित अन्य व्यक्ति के पक्ष में भूमि का निपटान किया है, जिनका नाम रजिस्टर–2 में दर्ज है और भूमि का डिमान्ड उनके नाम पर चल रही है तथा अंचल अधिकारी द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में यह भी बताया कि प्रतिवादी के पिता सहित सभी बंदोबस्तधारियों का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज है तथा कटौती के बाद डिमान्ड शून्य हो गई तथा प्रश्नगत भूखंड में कोई क्षेत्रफल शेष नहीं बचा है साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा आगे बताया गया कि प्रतिवादी विजय यादव ने प्लॉट

संख्या 81 की भूमि पर इंटे खड़ी की है, जो प्रतिवादी की भौतिक स्थिति को साबित करता है। यह भी कि आपत्तिकर्ता कोई और नहीं बल्कि भूतपूर्व जमींदार का वंशज है, जो अपने अवैध लाभ के लिए यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि जिन रैयतों के पक्ष में उसके पूर्वज ने जमीन का बंदोबस्त किया है, वे उस पर कब्जा किए हुए हैं, फिर भी गलत और अवैध तरीके से अंचल अधिकारी बरही के समक्ष आवेदन दायर किया गया। यह भी कि अंचल अधिकारी ने राजस्व अभिलेखों और काश्तकारों के रजिस्टर की भी जांच की और पाया कि रजिस्टर–2 में दो स्थानों पर सुगन महतो का नाम दर्ज है। यह कुछ और नहीं बल्कि तत्कालीन हल्का कर्मचारी द्वारा की गई लिपिकीय गलती है, जो रजिस्टर–2 का रख–रखाव और संरक्षक था, जिसे रजिस्टर–2 से बंदोबस्तधारी सुगन महतो की जमाबंदी हटाकर सुधारा जा सकता है। यह भी कि सुगन महतो की जमाबंदी लंबे समय से चल रही है और इसे कानूनी और वैध दस्तावेज के आधार पर खोला गया है जिसे रोका या रद्द नहीं किया जा सकता है। साथ ही अनुरोध किया गया है कि आवेदक के आवेदन तथा Intervenor के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद को यथावत रखी जाय।

उक्त प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विविध वाद संख्या 03/2014–15 द्वारा पारित आदेश में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 0.83 ए0 भूमि बकास्त खाते की भूमि है। खेवट संख्या 2/1 लगान पानेवाला सम्मिलात मालिक वगै0 सर्वे खतियान में दर्ज है। वर्तमान पंजी–2 के पृष्ट संख्या 14/IV में खात संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 लगान 50.00 रूपये की जमाबंदी सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम कायम है। रसीद संख्या 102310 दिनांक 29.12.92 एवं अंतिम रसीद संख्या 820926 दिनांक 20.01.1995 से निर्गत है एवं पंजी–2 के पृष्ट संख्या 15, भौलूम–II में भी खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 की जमाबंदी सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम कायम है। दोनों ही पंजी–II के उक्त पृष्टों में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है, जिसके कारण पुनः द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु फार्म–एम का प्रति व नक्श समर्पित नहीं किया गया एवं बतलाया गया कि

उनके पास कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। साथ ही प्रतिवेदित है कि बकास्त खाते की भूमि नियमानुसार लगान निर्धारण के पश्चात ही जमाबंदी कायम होना चाहिए था एवं पंजी–2 में कायम जमाबंदी में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है, जो संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि मौजा खोडाहार थाना संख्या 56 के पंजी–2 के पृष्ट संख्या 14/।V एवं 15/॥ में कायम जमाबंदी खाता संख्या 1, रकबा 81 डी0 जो सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम से कायम है तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया तथा रद्द का प्रस्ताव हल्का कर्मचारी से मांग किया गया।

उक्त वाद में उभय पक्षों का कारणपृच्छा, राजस्व कागजात एवं अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त तथा उभय पक्षों के विद्यवान अधिवक्ताओं को सुनने एवं समीक्षोंपरान्त यह पाया कि आवेदक विनय त्रिगुनायत वगैरह खाता संया 01, प्लॉट संख्या 81, रकबा 0.83 ए0 भूमि का अंचल द्वारा रोक लगाए मालगुजारी को नियमित करने को लेकर लाया गया है, जिसमें ओवदक का तर्क है कि रोजगार के लिए बाहर रहने के कारण मालगुजारी नहीं दिया जा सका एवं अचानक अंचल द्वारा मालगुजारी पर रोक लगा दी गई, जबकि यह तथ्य तर्कसंगत नहीं जान पडता है। अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन पत्रांक 210, दिनांक 09.04.2015 में प्रतिवेदित किया है कि खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 81, रकबा 0.83 ए0 भूमि बकास्त खाते की भूमि है। वर्तमान पंजी–॥ के पृष्ठ संख्या 114/। में तारापारसन त्रिगुनायत पिता लवीन मोहन त्रिगुनायत के नाम से खाता संख्या 1721 रकबा 4.29 ए0 जमाबंदी कायम है, जो घटकर शून्य हो गया है एवं यह भी प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान पंजी–॥ के पृष्ट संख्या 15/॥ में सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 1982 से वर्ष 2012 तक निर्गत है, परन्तु प्राधिकार कॉलम में सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है। पुनः पंजी ॥ के पृष्ट संख्या 14/।V में सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम खाता संख्या 1/2, रकबा 0.81 ए0 लगान रसीद वर्ष 1982 से वर्ष 1995 तक निर्गत है, जिसमें भी प्राधिकार कॉलम में सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं पाया गया जबकि

आवेदक द्वारा जांच प्रतिवेदन के आलोक में पुनः विस्तृत जांच के लिए आवेदन दिया गया जिसके आलोक में अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन पत्रांक 408 दिनांक 13.07.15 में प्रतिवेदित किया गया, जिसमें जमाबंदी 4.29 ए0 में से रकबा घटकर शून्य होने के संबंध में पाया कि घटाने में भूलवश आगे–पीछे हो गया एवं जमाबंदी रकबा एवं घटाया गया रकबा में भिन्नता है, साथ ही कहीं भी प्लॉट पंजी–II में दर्ज नहीं है। अंचल अधिकारी का पत्रांक 506, दिनांक 11.09.15 के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि उक्त भूखंड तीन कियारी बना हुआ है, जिसमें दो कियारी विजय यादव के कब्जे में है एवं एक कियारी चन्देश्वर सिंह के कब्जे में है। प्रथम पक्ष से चन्देश्वर सिंह Intervenor बनाने हेतु अग्रह पत्र दाखिल किया जिसे स्वीकृत की गई। Intervenor के रूप में चन्देश्वर सिंह का कहना है कि विनय त्रिगुनायत, यदुनंदन त्रिगुनायत, तपन कुमार त्रिगुनायत, जवन कुमार त्रिगुनायत, तिमिर कुमार त्रिगुनायत, अनुप त्रिगुनायत से भूमि क्रय किया है एवं Intervenor के नाम पंजी–II में दाखिल किया जाए परन्तु पंजी–II के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता त्रिगुनायत, यदुनंदन त्रिगुनायत, तपन कुमार त्रिगुनायत, तिमिर कुमार त्रिगुनायत, अनुप त्रिगुनायत के पंजी–II में उक्त खाता रकबा शून्य है, जिसके कारण पंजी–2 में दाखिल करना उचिन नहीं जान पड़ता, जबकि आवेदक के आवेदन में कहा है कि लगान रसीद नियमित किया जाए परन्तु तमाम तथ्यों के विवेचना एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह सक्षम न्यायालय संबंधी मामला बनता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, बरही को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

21/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

21/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

ज्ञापांक 948 /रा0, बरही, दिनांक 27/09 /2024

Digitally signed by Ajay Bhagat
Date: 2025.08.13 17:21:42 +05:30
Location: 192.168.1.36

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

21/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।